क्रीड़ा–परिषद् का संविधान

अद्यतन संशोधित

जुलाई, 2021

नोट– 1. उपरोक्त निश्चित धनराशि क्रीड़ा–परिषद् द्वारा परिवर्तनीय होगी।

2. उपर्युक्त खेलों के अतिरिक्त किसी अन्य खेल को स्पोर्ट्स कैलेण्डर में सम्मिलित करने हेतु क्रीड़ा–परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में खेल कोटे के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु नियमावली–

1. उन सभी खेलों के खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जायेगा जो अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय एवं खेल संघ द्वारा आयोजित किये जाते हैं।
2. ऐसे छात्रों को सम्मिलित किया जायेगा जो अखिल भारतीय/उत्तर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयीय स्तर पर प्रतिभाग करने की अर्हता रखते हो।
3. ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर/जूनियर स्तर की प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो।
4. ऐसे खिलाड़ी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में उत्तर क्षेत्रीय स्तर पर सीनियर /जूनियर स्तर की प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो।
5. ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किये हो।
6. ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किये हो।
7. ऐसे खिलाड़ी जो स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इण्डिया (एस0जी0एफ0आई0) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किये हो।
8. ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट में रणजी, इण्डिया ए एवं बी इण्डिया ब्लू, रेड ग्रीन मे प्रतिभाग किये हो।
9. भारत सरकार के खेलो इण्डिया में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किये हो।
10. किसी भी पाठ्यक्रम के कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत सीट निःशुल्क मान्य होगी। यदि निःशुल्क खिलाडियों की संख्या 10 प्रतिशत से ज्यादा हो रही हो है तो ऐसी दशा में कम आयु वाले अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं व्यक्तिगत खेलों के खिलाड़ियों को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
11. ऐसे खिलाड़ी जो भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार द्वारा दिये जाने वाले खेल पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है तो उनको उपरोक्त आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
12. AIU के अर्हता के नियमानुसार ही खिलाड़ी उस सत्र में निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, अर्थात यदि खिलाड़ी किसी कक्षा में प्रथम वर्ष में AIU के नियमानुसार अर्हता रखता है तो उसका प्रवेश निःशुल्क होगा एवं द्वितीय वर्ष या अगली कक्षाओं में सःशुल्क प्रवेश देय होगा।
13. ऐसे खिलाड़ी जो सत्र के बीच में निःशुल्क प्रवेश की अर्हता प्राप्त करते है उनको अगले वर्ष से ही निःशुल्क प्रवेश दिया जा सकता है।
14. सभी खिलाडियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा व खेल कौशल के आधार पर चयनित किया जायेगा।
15. ऐसे खिलाड़ियों की शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागों को क्रीड़ा–परिषद् के मद से किया जायेगा।
16. अन्य किसी बिन्दु पर विचार माननीय कुलपति महोदय द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।